रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022020-216133
CG-DL-E-13022020-216133

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2020/माघ 22, 1941
No. 88] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2020/MAGHA 22, 1941

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 106(अ)—केन्द्रीय सरकार दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5, 6 और धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दामोदर घाटी निगम (निगम के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य – सचिव के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दामोदर घाटी निगम (निगम के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दामोदर घाटी निगम (निगम के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2013 में (जिसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्:—

"3. भर्ती की पद्धति: अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, सदस्य (वित्त) और सदस्य (तकनीकी), दामोदर घाटी निगम के पदों को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से सम्यक गठित खोज-सह-चयन समिति द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। खोज-सह-चयन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

(1) मंत्रिमंडल सचिव – अध्यक्ष;

(2) सचिव (विद्युत) – सदस्य;

(3) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के एक विशेषज्ञ सदस्य को नामित किया जाएगा;

(4) पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार (सचिव स्तर अथवा समतुल्य) का प्रतिनिधि – सदस्य;

(5) झारखंड राज्य सरकार (सचिव स्तर अथवा समतुल्य) का प्रतिनिधि – सदस्य।"

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा अर्थात् : —

"4. वेतन:—अध्यक्ष को औद्योगिक मंहगाई भत्ते सहित 2,00,000-3,70,000 रुपए का वेतनमान संदत्त किया जाएगा, सदस्यों और सदस्य-सचिव को औद्योगिक मंहगाई भत्ते सहित 1,80,000-3,40,000 रुपए का वेतनमान संदत्त किया जाएगा।"

4. उक्त नियमों में नियम 6 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : -

"(2) अर्हता और अनुभव : (i) अध्यक्ष – (क) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -15(182200-224100/- रूपये) में सरकारी अधिकारी अथवा वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य स्तर में अधिकारी, अथवा

(ख) दो वर्षों की सेवा सहित औद्योगिक मंहगाई भत्ते के साथ 1,50,000- 3,00,000 रुपए अथवा केन्द्रीय मंहगाई भत्ते के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 15 (182200-224100/- रूपये) में केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर के कार्यपालक का पद धारण करता हो अथवा

(ग) दामोदर घाटी निगम के अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर–15 (182200-224100/- रूपये) में एक वर्ष की सेवा की हो।

टिप्पण : अधिकारी विद्युत क्षेत्र, प्रबंधन और वित्त में अनुभव रखता हो और एमबीए की अर्हता वांछनीय है।

(ii) सदस्य:-(क) भारत सरकार में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (144200-218200) में सरकारी अधिकारी पद धारण करता हो अथवा वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य स्तर के अधिकारी; अथवा

(ख) दो वर्ष की सेवा सहित औद्योगिक महंगाई भत्ते के साथ 1,20,000-2,80,000 रुपये के वेतनमान अथवा केन्द्रीय महंगाई भत्ते के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (144200-218200) में केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर के कार्यकारी का पद धारण करता हो; अथवा

(ग) एक वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स मेंस्तर -14 (144200-218200) में दामोदर घाटी निगम के अधिकारी का पद धारण करता हो।

(घ) सदस्य (तकनीकी):- आवेदक सिंचाई, जल आपूर्ति तथा विद्युत उत्पादन में कार्य अनुभव रखता हो अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वरीयतः इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक होना चाहिए।

(ङ) सदस्य (वित्त):- आवेदक किसी प्रख्यात संगठन में लागत और बजटीय नियंत्रण, संस्थागत वित्त, कार्यशील पूंजी प्रबंधन सहित किसी कॉरपोरेट वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन में वरिष्ठ स्तर पर कार्य अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से लागत लेखाकार/चार्टर्ड एकाउंटेंट/वित्त में विशेषज्ञता सहित एमबीए होना चाहिए।

(iii) सदस्य सचिवः-(क) भारत सरकार में वेतन मैट्रिक्स मेंस्तर -14 (144200-218200) के सरकारी अधिकारी का पद धारण करता हो अथवा वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य स्तर का अधिकारी हो, अथवा

(ख) दो वर्ष की सेवा सहित औद्योगिक महंगाई भत्ते के साथ 1,20,000-2,80,000 रुपये के वेतनमान अथवा केन्द्रीय महंगाई भत्ते के साथ वेतन मैट्रिक्स मेंस्तर-14 (144200-218200) में केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर के कार्यकारी का पद धारण करता हो, अथवा

(ग) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (144200-218200) में दामोदर घाटी निगम के अधिकारी का पद धारण करता हो जिन्होंने एक वर्ष की सेवा की हो ।

(घ) आवेदक वरीयतः मानव संसाधन (एचआर) अथवा औद्योगिक संबंध (आईआर) में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर होना चाहिए। आवेदक को व्यावहारिक विज्ञान, संगठन संरचना, सामग्री प्रबंधन और वित्तीय योजना तथा इसके नियंत्रण के साथ-साथ साधारण प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए। उसे किसी बृहत् संगठन में वरिष्ठ स्तर पर कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए।"

[फा. सं .01/02/2018-डीवीसी]

विवेक कुमार देवांगन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 802 (अ) तारीख 27 दिसम्बर, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2020

G.S.R. 106(E).—In exercise of the powers conferred by sections 5, 6 and sub-section (1) of section 59 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Damodar Valley Corporation (salaries, allowances and other conditions of service of the Chairman, Members and Member-Secretary of the Corporation) Rules, 2013, namely:—

1. Short title and commencement:-

(1) These rules may be called the Damodar Valley Corporation (salaries, allowances and other conditions of service of the Chairman, Members and Member-Secretary of the Corporation) (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Damodar Valley Corporation (salaries, allowances and other conditions of service of the Chairman, Members and Member-Secretary of the Corporation) Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

"3. Method of recruitment:- The posts of Chairman, Member-Secretary, Member (Finance) and Member (Technical) of the Damodar Valley Corporation shall be filled on deputation basis through a Search-cum-Selection Committee duly constituted in consultation with the concerned State Governments. The composition of Search-cum- Selection Committee shall be as under:

(1) Cabinet Secretary – Chairperson;

(2) Secretary (Power) – Member;

(3) One Expert Member in the field of power sector to be nominated by the Ministry of Power, Government of India;

(4) Representative of the State Government of West Bengal (Secretary level or equivalent) – Member;

(5) Representative of the State Government of Jharkhand (Secretary level or equivalent) – Member.**"**.

3. in the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

"4. Salaries:—The Chairman shall be paid a salary in the scale of rupees 2,00,000-3,70,000 on Industrial Dearness Allowance, Members and Member-Secretary shall be paid a salary in the scale of rupees 1,80,000 – 3,40,000 on Industrial Dearness Allowance.".

4. in the said rules, in rule 6, for sub-rule (2), the following rule shall be substituted, namely:—

"(2) Qualification and Experience: – **(i) Chairman:-** (a) Government Officers holding post in the level-15 (Rs 182200-224100/-) in the pay matrix or officers in equivalent level in the pay matrix, or

(b) Central Public Sector Executive holding post in the scale of rupees 1,50,000-3,00,000 with Industrial Dearness Allowance or level-15 (Rs 182200-224100/-) in the pay matrix with Central Dearness Allowance with two years of service, or

(c) Officers of Damodar Valley Corporation holding post in level-15 (Rs 182200-224100/-) in the pay matrix with one year of service.

Note: The officer having experience in Power Sector, Management and Finance with qualification of Master of Business Administration is desirable.

(ii) Member:— (a) Government Officers holding post in level-14 (Rs 144200-218200/-) in the pay matrix in the Government of India or officers in equivalent level in the pay matrix; or

(b) Central Public Sector Executive holding post in the scale of rupees 1,20,000-2,80,000 with Industrial Dearness Allowance or level-14 (Rs 144200-218200/-) in the pay matrix with Central Dearness Allowance with two years of service; or

(c) Officers of Damodar Valley Corporation holding post in level-14 (Rs 144200-218200/-) in the pay matrix with one year of service.

(d) Member (Technical): — The applicant shall be a graduate in Engineering preferably in Electrical or Mechanical from a recognised University or Institution having experience of working in irrigation, water supply and power generation.

(e) Member (Finance):- The applicant shall be a Cost Accountant or Chartered Accountant or Master of Business Administration with specialisation in Finance from a recognised University or Institution having experience of working at a senior level in Corporate Financial Management and Accounts including costs and Budgetary Control, Institutional Finance, Working Capital Management in an organisation of repute.

(iii) Member–Secretary:— (a) Government officers holding post in level-14 (Rs 144200-218200/-) in the pay matrix in the Government of India or officers in equivalent level in the pay matrix, or

(b) Central Public Sector Executive holding post in the scale of rupees 1,20,000-2,80,000 with Industrial Dearness Allowance or level-14 (Rs 144200-218200/-) in the pay matrix with Central Dearness Allowance with two years of service, or

(c) Officers of Damodar Valley Corporation holding post in level-14 (Rs 144200-218200/-) in the pay matrix with one year of service.

(d) The applicant shall be a post graduate, preferably with specialisation in Human Resources (HR) or Industrial Relation (IR). The applicant should have knowledge of Behavioral Science, Organization Structural, Material Management and knowledge of the Financial Planning and its control as well as general administration. He should also have experience of working at a senior level in a large organization.**"**.

[F. No. 01/02/2018-DVC]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 802(E), dated 27th December, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.13 21:57:59 +05'30'